प्राचार्य का कार्यालय

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय ,बेगूसराय

Rashtrakavi Ramdhari Singh Dinkar College of Engineering, Begusarai

कार्यालय आदेश

संस्थान के सभी छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि Student Credit Card से संबंधित जागरूकता कार्यशाला का आयोजन दिनांक 15.02.2020 को 12:00 बजे किया जा रहा है।

अतः सभी छात्र–छात्राओं उक्त कार्यशाला में सामिल होकर इसका अधिक से अधिक लाभ उठाये।

दिनांक 15.02.2020, समय–12:00 बजें।

स्थान : राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, बेगूसराय
रूम नं0–007 Ground Floor

Kant 14/02/2020

प्रो0 लक्ष्मी कांत
सहायक प्राध्यापक, असैनिक अभियंत्रण

आदेशांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि – 1. प्राचार्य, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर
2. वेबसाईट प्रभारी सूचना पट् के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

Kant 14/02/2020

प्रो0 लक्ष्मी कांत
सहायक प्राध्यापक, असैनिक अभियंत्रण

P-Y2

Scanned by CamScanner

बिहार सरकार

विकसित बिहार के 7 निश्चय

"आर्थिक हल, युवाओं को बल"

के अन्तर्गत बिहार के युवाओं के लिए राज्य सरकार की अभूतपूर्व पहल

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के निगम के माध्यम से 12वीं (Polytechnic पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण बिहार राज्य के विद्यार्थियों को उनकी आगे की शिक्षा जारी रखने हेतु अधिकतम 4,00000 (चार लाख रूपये) तक की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

प्रमुख विशेषताएँ	आवश्यक कागजात
❖ विद्यार्थियों को रहने, जीवन-यापन के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तक, पठन-लेखन सामग्री क्रय के लिए 10,000/- (दस हजार रूपये) प्रतिवर्ष राशि का प्रावधान है। ❖ आवेदन करने की तिथि को आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष जबकि स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के लिए 30 वर्ष निर्धारित है। ❖ मात्र 4 प्रतिशत सरल ब्याज (महिला एवं दिव्यांग आवेदकों के लिए केवल 1 प्रतिशत)। Moratorium अवधि तक ब्याज देय नहीं अर्थात ब्याज को गणना का प्रावधान नहीं। ❖ ऋण वापसी की प्रक्रिया बेहद सरल एवं सुविधापूर्ण। आय नहीं होने की स्थिति में वापसी की प्रक्रया स्थगित। समय से पूर्व राशि वापसी पर छूट का प्रावधान।	1. मैट्रिक तथा इंटर परीक्षा का अंक-पत्र या प्रमाण पत्र 2. पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाण-पत्र (Bonafide) एवं पाठ्यक्रम शुल्क (Fee Structure) की विवरणी। 3. आवासीय प्रमाण पत्र (आवेदक) 4. बैंक खाता (आवेदक तथा अभिभावक) 5. आधार कार्ड (आवेदक तथा अभिभावक) 6. आवेदक एवं अभिभावक का 3 पासपोर्ट साईज फोटो

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

इस योजना के तहत 20 से 25 आयु वर्ग 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा/युवती जो अध्ययनरत नही हो अथवा उच्चतर शिक्षा प्राप्त नही किये हों, उन्हें रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000/- प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता दो वर्षों के लिए दी जायेगी।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्त्ते	आवश्यक कागजात
❖ 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे बेरोजगार युवा जो अध्ययनरत नहीं हो तथा इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हो परन्तु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किए हो, ❖ आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्वरोजगार नहीं हो। ❖ आवेदक को किसी अन्य सरकारी श्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता प्राप्त नही हो एवं उसे किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो। ❖ आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनयादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।	1. आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रति आवेदक के फोटो के साथ 2. 10वीं तथा 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र 3. आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड। 4. किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से बैंक खाता। 5. बैंक संबंधी जानकारी (क) खाता संख्या (ख) बैंक का नाम (ग) IFSC कोड (घ) पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति। 6. विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र।

कुशल युवा कार्यक्रम

इस योजना के तहत 15 से 28 (OBC-30,SC/ST-33 वर्ष) वर्ष के युवा/युवती जो मैट्रिक उत्तीर्ण है अथवा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत /उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं व्यवहार कौशल तथा बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्त्ते	आवश्यक कागजात
❖ आवेदन की तिथि को आयु 15-28 वर्ष होनी चाहिए। ❖ आवेदक बिहार में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक (10वीं) उत्तीर्ण हो अथवा उक्त शिक्षा में अध्ययनरत/उपाधि प्राप्त कर चुका हो। ❖ आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो एवं उसे कोई नियोजन अथवा स्वरोजगार नहीं हो ❖ आवेदक को किसी भी सरकारी श्रोत से किसी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/कौशल विकास की सुविधा/क्रेडिट कार्ड/किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।	1. आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रति आवेदक के फोटो के साथ 2. 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि वर्णित हो। 3. 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। 4. आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड। 5. किसी अनुसूचित बैंक में आवेदक के नाम से बैंक खाता हो।

ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइड/पोर्टल :- www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व ऑफलाइन प्रपत्र को डाउनलोड कर वांछित सूचनाएँ तैयार रखें ताकि ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई न हो।

योजना की विस्तृत जानकारी www.prdbihar.gov.in/www.planning.bih.nic.in/www.skillmissionbihar.org एवं Toll Free : 18003456444

जिला निबंधन-सह-परामर्श केन्द्र, बेगूसराय, सदर ब्लॉक, कंकौल, बेगूसराय-मंझौल रोड, हरदिया पेट्रोल पंप के नजदीक

P-2/2

Scanned by CamScanner